V-190
Cr. J.(E)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE Cr.P.C.

IN THE COURT OF FARHAN M. QURESHI, J.M.F.C. Bhikangaon (M.P.)

Case No.- 958/22 Complaint or report made on......................

Name, Parentage caste & Address of Accused

रामसिंह पिता नाहरसिंग मोरे जाति भिलाला
उम्र 39 साल नि. पाल्डी

The offence complained of and date of its alleged commission

आपने दिनांक 19/09/22 को 16/15 बजे ......पाल्डी...... पर मध्य प्रदेश आबकारी अधि0 के अधीन बनाये गये नियम या आदेश या शर्त के उल्लघन में ...11 लीटर हाथ भट्टी कच्ची... मदिरा को कब्जे में रखा।

इस प्रकार आपने मध्य प्रदेश आबकारी अधि0 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया।

(फरहान एम. कुरैशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भीकनगांव प.नि. (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार

रामसिंग

(फरहान एम. कुरैशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भीकनगांव प.नि. (म.प्र.)

The offence proved, if any, & in case under clause, (d) clause, (e), clause, (f) or clause, (g), or sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been commited.

न्यायालय :— न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भीकनगांव प.नि.(म0प्र0)
(समक्षः— फरहान एम. कुरैशी)

// (निर्णय) //

(आज दिनांक 11/10/22 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त/अभियुक्तगण को आबकारी अधि0 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत अपराध विवरण पढकर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छया, बिना किसी दबाब के अपराध करना स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के अभिवाक को दृष्टिगत रखते हुये उक्त अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

02. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधि0 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को आबकारी अधि0 की धारा 34(1)(क) के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं ....1100/-.......... के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

03. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे प्रत्येक अपराध के लिए ....11.......... दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावें।

04. प्रकरण में जप्तशुदा 11 लिटर हाथ भट्टी मदिरा देशी शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें।

स्थान :— भीकनगांव (म0प्र0)
दिनांक :— 11/10/22

(फरहान एम. कुरैशी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
भीकनगांव प.नि. (म.प्र.)